FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

सरकार जरिए तहसीलदार बेगूँ बनाम प्रेम बाई

करम मुकदमा .... नं० 68/19 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.07.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसाार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो। [signature]	
12.7.19	पत्रावली आज पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारो ने अपनी आराजी में हिस्से नहीं होने से बताया की उनके सभी सह खातेदारो ने आपसी सहमती से हिस्से बताये जो निम्न है। ग्राम बानोड़ा आराजी नं. 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395 किता 14 रकबा 1.56 हे. भूमि मे प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16 कालु का हिस्सा 1/6 रामु का	सोहनलाल नाथुलाल चुन्नीलाल मोहन शेर रामेश्वर गोपाल [illegible] नि. एपनबाई नि. रामीबाई नि. कमली

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

का हिस्सा 1/16 पिता दोला बापु पुत्री रामचन्द्र का हिस्सा 1/16 नाथु का हिस्सा 1/80 ओंकार का हिस्सा 1/80 गोला का हिस्सा 1/80 गडु का हिस्सा 1/80 पिता देवी सत्यनारायण का हिस्सा 1/40 लालचन्द का हिस्सा 1/40 पिता पारसचन्द चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20 रतना का हिस्सा 1/120 गोपा का हिस्सा 1/120 कमली का हिस्सा 1/120 रुकमणी का हिस्सा 1/120 भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा जड़ाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120 गोपाल का हिस्सा 1/60 शोभालाल का हिस्सा 1/60 पिता बालु रामी बेवा बालु का हिस्सा 1/60 कमली बेवा ऊंकार का का हिस्सा 1/4 भेरु का हिस्सा 1/24 काली का हिस्सा 1/24 पिता नन्दा राधा बेवा नन्दा का हिस्सा 1/24 रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/24 रुकमाबाई का हिस्सा 1/24 पिता कन्हैयालाल हीरीबाई पत्नि कन्हैयालाल का हिस्सा 1/24 जाति दरोगा सा. देह खातेदार। हमने यह हिस्से व खातेदारो द्वारा बताये गये हिस्से मय्यमे आम मे रखा गया जिसमे उन्होने भी इसी हिस्से पर सहमती प्रकट की गई।

अतः सहखातेदारो की सहमती व तहसीलदार बेगू की रिपोर्ट व DILRMP के तहत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/BR/LR/NLRMPF-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार उनके पूर्व वर्णित हिस्से के अनुसार खातेदारी की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर) .19
उपखण्ड अधिकारी
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 68 / 2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

............वादी

बनाम

1. प्रेमबाई पिता गोपी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
2. कालू पिता दोला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
3. राजु पिता दौला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
4. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
5. नाथ पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
6. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
7. मौत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
8. गट्टु पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
9. सत्यनारायण पिता प्यारचंन्द्र निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
10. लाभचन्द्र पिता प्यारचन्द्र निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
11. चुन्नीलाल पिता गोविन्द निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
12. रतना पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
13. मोहन पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
14. कमली पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
15. रूकमणी पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
16. भूली पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
17. जडाई पत्नि भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
18. गोपाल पिता बालू निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
19. शोभालाल पिता बालू निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
20. रामी पत्नि बालू निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
21. कमली पत्नि उँकार निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
22. भैरू पिता नंदा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
23. काली पिता नंदा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
24. राधा पत्नि नंदा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयॉलाल निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
26. रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
27. हीरीबाई पत्नि कन्हैयॉलाल निवासी बानोडा तह0 बेगूँ

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 27 निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार कि ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश / परिपत्र / क्रमांक / बीआर / एलआर / एन.एल. आर.एम.पी. / एफ–126 / पार्ट–2 / 10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

, वाद पत्र में तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्रांक 1216 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम बानोडा के खाता संख्या 93 की आराजी किता–14 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि श्री प्रेमबाई पिता गोपी , कालू राजू पिता दौला वगै. जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकोर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं होने से वादी भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। कोर्ट कैम्प में प्रतिवादीगण दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया, प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा ग्राम बानोडा में वाद वर्णित आराजी संख्या 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395 किता– 14 रकबा 1.56 हैक्टर उनकी सामलाती पैतृक भूमि है एवं चम्पालाल जी के वारिसान के चार पुत्रो गोविन्द, दौला, रतना, चन्दन के नाम दर्ज हुए है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 हो गोविन्द दौला रतना चन्दन के फोत जाने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। कैम्प कोर्ट पर पक्षकारो के समक्ष सजरा बनाया गया, सजरे में पक्षकारो द्वारा बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गये। सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत हुए।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया, भू–प्रबन्ध रिकोर्ड में वर्णित आराजी किता– 50 रकबा 07.60 हैक्टर श्री गोविन्द दौला रतना पिता चम्पा नंदा काना पिता चन्दन दरोगा साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत नामा.सं. 11 से दौला के बजाय गोपी कालू रामचन्द्र राजु पिता दौला नामा.सं. 12 से रतना के बजाय उँकार पिता रतना ना.सं. 361 से गोविन्द के बजाय देवी मोडा चुन्नी भूरा व बालू पिता गोविन्द, नामा.सं. 206 से नंदा के बजाय भैरू काली पिता नंदा राधा पत्नि नंदा नामा. सं. 170 से देवी के बजाय नाथू सोसर मोत्या गट्टु पिता देवी नंदू पत्नि देवी मोडा के बजाय सोहनी पिता मोडा भूरा के बजाय रतना मोहन कमली रूकमणी भूली पिता भूरा जडाई बेवा भूरा, बालू के बजाय गोपाल सोहन कंचनी पिता बालू, रानी पत्नि बालू , गोपी के बजाय गीता प्रेम पिता गोपी, मोडीबाई पत्नि गोपी, रामचन्द्र के बजाय धापू पिता रामचन्द्र उँकार के बजाय कमली पत्नि उँकार, नामा.सं. 272 से सोहनी पिता मोडा के बजाय सत्यनारायण लाभचंद्र पिता प्यारचंद्र, नामा.सं. 668 से काना पिता चन्दना के बजाय रामेश्वरलाल रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल हीरीबाई पत्नि कन्हैयॉलाल दर्ज हुए है।

मजमें आम में सजरें अनुसार खातेदारो के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी किता– 14 रकबा 1.56 हैक्टर सामलाती आराजी है, उक्त आराजी चम्पालाल जी की होकर उसके चार पुत्रो गोविन्द दौला रतना पिता चम्पा व नन्दा काना पिता चन्दन के नाम से दर्ज हुई है, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 बनता है जो सही है। अतः मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमती से मौजा बानोडा की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

आराजी संख्या 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395 किता– 14 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा के खाता संख्या 93 में दर्ज आराजी संख्या 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395 किता– 14 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि में प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16, कालू का हिस्सा 1/16, राजु का हिस्सा 1/16, पिता दौला, धापू पुत्री.रामचन्द्र का हिस्सा 1/16, नाथू पिता देवी का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गट्टु का हिस्सा 1/80 पिता देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40, लाभचन्द्र का हिस्सा 1/40, पिता प्यारचन्द्र, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20, रतना का हिस्सा 1/120, मोहन पिता भूरा का हिस्सा 1/120 कमली का हिस्सा 1/120, रूकमणी का हिस्सा 1/120, भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा, जडाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, शोभालाल का हिस्सा 1/60 पिता बालू, रामी बेवा बालू का हिस्सा 1/60, कमली बेवा उँकार का हिस्सा 1/4, भैरू पिता नंदा का हिस्सा 1/24, राधा बेवा नंदा का हिस्सा 1/24, काली पुत्री नंदा का हिस्सा 1/24, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/24, रूकमाबाई का हिस्सा 1/24 पिता कन्हैयॉलाल, हीरीबाई पत्नि कन्हैयॉलाल का हिस्सा 1/24 जातियान दरोगा साकिन देह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूॅ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

12.7.19

(रमेश चौधरी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

-----लगातार

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)

दावा संख्या : 68/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ

..............वादी

बनाम

1. प्रेमबाइ पिता गोपी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
2. कालू पिता दोला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
3. राजु पिता दौला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
4. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
5. नाथ पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
6. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
7. मौत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
8. गट्टु पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
9. सत्यनारायण पिता प्यारचंन्द्र निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
10. लाभचन्द्र पिता प्यारचन्द्र निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
11. युन्नीलाल पिता गोविन्द निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
12. रतना पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
13. मोहन पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
14. कमली पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
15. रूकमणी पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
16. भूली पिता भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
17. जडाई पत्नि भूरा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
18. गोपाल पिता बालू निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
19. शोभालाल पिता बालू निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
20. रामी पत्नि बालू निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
21. कमली पत्नि उँकार निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
22. भैरू पिता नंदा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
23. काली पिता नंदा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
24. राधा पत्नि नंदा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयॉलाल निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
26. रूकमाबाइ पिता कन्हैयॉलाल निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
27. हीरीबाई पत्नि कन्हैयॉलाल निवासी बानोडा तह0 बेगूँ

.............प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा के खाता संख्या 93 में दर्ज आराजी संख्या 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395 किता– 14 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि में प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16, कालू का हिस्सा 1/16, राजु का हिस्सा 1/16, पिता दौला, धापू पुत्री रामचन्द्र का हिस्सा 1/16, नाथू पिता देवी का

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गट्टु का हिस्सा 1/80 पिता देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40, लाभचन्द्र का हिस्सा 1/40, पिता प्यारचन्द्र, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20, रतना का हिस्सा 1/120, मोहन पिता भूरा का हिस्सा 1/120 कमली का हिस्सा 1/120, रूकमणी का हिस्सा 1/120, भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा, जडाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, शोभालाल का हिस्सा 1/60 पिता बालू, रामी बेवा बालू का हिस्सा 1/60, कमली बेवा उँकार का हिस्सा 1/4, भैरू पिता नंदा का हिस्सा 1/24, राधा बेवा नंदा का हिस्सा 1/24, काली पुत्री नंदा का हिस्सा 1/24, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/24, रूकमाबाई का हिस्सा 1/24 पिता कन्हैयॉलाल, हीरीबाई पत्नि कन्हैयॉलाल का हिस्सा 1/24 जातियान दरोगा साकिन देह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूं को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

12.7.19

(रमेश सिरवी मुन्नाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूं को पालनार्थ प्रस्तुत है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner